न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—193/2018/223 (2018/00193)

1. रामधन पुत्र मोहनलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी सांपला, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण,
2. भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण,
   दोनों जाति ब्राह्मण, नि0 सांपला, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 27.6.2018 अंतर्गत वाद संख्या 154/2014.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री बी0एल0शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 987 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा वाकै ग्राम सांपला, तह0 तहसील सरवाड़ में अवस्थित है । उक्त आराजियात वादी/रेस्पो0 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है । उक्त आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 व 2 तथा अपीलांट की पुश्तैनी आराजियात है एवं उक्त आराजियात में रेस्पो0 का 2/3 हिस्सा व अपीलांट प्रहलाद का 1/3 हिस्सा निहित है । इस प्रकार कुल आराजियात में से 1/9 हिससे पूर्व से ही अपीलांट के कब्जे काश्त में है । खसरा संख्या 987 का नक्शा ट्रेस छोटा होने के कारण नक्शा ट्रेस में भूमि रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा ही है । उक्त आराजियात बाबत् न्यायालय द्वारा महावीर प्रसाद बनाम प्रहलाद वाद डिक्री किया गया था जिसमें उक्त खसरा नंबर का रकबा छोटा होने के कारण अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष की गई जिसमें निर्णय दिनांक 9.7.2015 लोक अदालत की भावना से पारित किया गया एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा खसरा नंबर 987 में

से 12 बिस्वा खसरा नंबर 988 के लगवा अपीलांट को देना स्वीकार किया गया । इस प्रकार खसरा नंबर 987 में अपीलीांट के हिस्से में 1 बीघा 2 बिस्वा आती है जिस पर रेस्पो0 द्वारा जे0सी0बी0 इत्यादि से गड्ढे कराने पर आमादा है । अतः उक्त आराजियात को नष्ट करने व खड्डे इत्यादि नहीं करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रेस्पो0 पाबंद फरमाया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.2018 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. अपील के विचाराधीन रहते विद्वान वकील रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि मान0 न्यायालय द्वारा थानाधिकारी, सरवाड़ को न्यायालय के आदेश दिनांक 14.9.2018 की पालना आदेश दिया था किन्तु थानाधिकारी द्वारा हाजा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई है । न्यायहित में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.9.2018 की पालना का आदेश तहसीलदार, सरवाड़ व थानाधिकारी, केकड़ी को दिया जाना आवश्यक है । अतः हाजा न्यायालय से निवेदन है कि थानाधिकारी, केकड़ी व तहसीलदार, सरवाड़ को आदेश प्रदान करावे कि वे स्वंय हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 14.9.2018 की पालना करे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । हाजा न्यायालय के समक्ष निर्णय व डिक्री जो कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई है, के विरूद्ध अपील संख्या 278/14 में स्पष्टतः अपीलाट को 12 बिस्वा भूमि दिये जाने के आदेश पारित किये गये थे एवं पूर्व में उक्त अपील में रेस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत् अपीलांट के 1/3 हिस्से खसरा संख्या 987 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा में निर्मित पोण्ड को सम्मिलित कर अंतिम डिक्री बनाये जाने हेतु निवेदन किया गया जिस पर अधी0न्याया0 के समक्ष उक्तानुसार अंतिम डिक्री पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने बाबत् दिनांक 21.3.2014 को निर्णय पारित किया गया है जिसकी पालना में तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा मौके पर जाकर नक्शे अनुसार क्षैत्रफल निकाला गया जिस में मौके पर रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा ही पाया गया जिस बाबत् दिनांक 25.4.2014 को स्पष्टतः रकबा कम होने से बंटवारा प्रस्ताव नहीं किये जाने के अंकन है । स्वंय तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा दिनांक 30.4.2014 को प्रेषित रिपोर्ट में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं होना वर्णित करते हुए उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की है । इसके बावजूद दिनांक 14.5.2015 को विरोधाभासी रूप से पुनः बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर 4 बीघा 15 आराजियात बाबत् मौके पर प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रेषित किया गया । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा 12 बिस्वा भूमि अपीलांट को दिये जाने के आदेश पारित किये गये किन्तु उक्त निर्णय की अनुपालना नहीं की जाकर अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 987 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा पर रेस्पो0 द्वारा अवैधानिक रूप से खड्डे इत्यादि कर अपीलांट को बेदखल किये जाने की कार्यवाही किये जाने पर अपीलांट द्वारा यह वाद पेश किया गया है ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकी संख्या 1 कायम की गई

थी । उक्त तनकी पर अधी0न्याया0 द्वारा दावा दायरी के दिन खसरा नंबरि 987 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा अस्तित्व में नहीं है एवं इसके स्थान पर 987/1, 987/2, 987/3 व 987/4 बने है एवं 987 में से 12 बिसवा भूमि अलग की जाकर अपीलांट को दिया जाना न्यायोचित नहीं है वर्णित करते हुए अवैधानिक रूप से खसरा नंबर 987 अस्तित्व में नहीं होना अंकित कर तनकी संख्या 1 को अपीलांट के विरूद्ध निर्णित करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 987 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा जो कि खसरा संख्या 987/2 व 988 के मध्य 987/4 की आराजियात है पर हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.7.205 के अनुसरण में राजीनामे के अनुसार अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है जिस बाबत स्वंय के अधिकारों की रक्षार्थ प्रस्तुत राजस्व वाद में जरिये स्थायी निषेधाज्ञा रेस्पो0 उक्त आराजी में अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं किये जाने बाबत् प्रदान किया जाना न्यायोचित था । किन्तु अधी0न्याया0 ने हाजा न्यायालय के निर्णय को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना हो चुकी है । मौके पर रेस्पो0 संख्या 1 को खसरा संख्या 987/3 व 987/4 का कब्जा संभलाया जा चुका है । खसरा नंबर 987 अस्तित्व में नहीं है । यह भी कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा सीमाज्ञान करवाया जा चुका है और प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है । अपीलांट ने तथ्य छिपाकर वाद प्रस्तुत किया है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष खसरा नंबर 987 रकबा 6–12–00 बीघा ग्राम सांपला तह0 सरवाड़, जिला अजमेर के संबंध में वाद अंतर्गत धारा 188 व 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत कर लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.7.2015 की पालना हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा उभयपक्षकारन को सुनकर राजस्व लोक अदालत के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपील संख्या 278/2014 दिनांक 9.7.2015 में यह निर्णय व डिक्री पारित की गई है कि रामधन पुत्र मोहनलाल जाति ब्रहमण को राजीनामे के अनुसार खसरा नंबर 987 में से खसरा नंबर 988 से लगता हुआ 12 बिस्वा भूमि दी जावे तथा रामधन के नाम उपरोक्तानुसार निर्णय व डिकी की पालना कर राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे । इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध कोई चाराजोही कर इसे निरस्त करवाया गया हो, इस बाबत् कोई भी अभिलेख रिकार्ड पर नहीं है। अधी0न्याया0 को निर्णय व डिक्री दिनांक 9.7.2015 की पालना सुनिश्चित करनी चाहिये थी एवं वादी रामधन को भी विधिनुसार इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्णय व डिक्री की पालना करवाने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिये थी जो नहीं कर रामधन द्वारा हस्तगत नया वाद प्रस्तुत कर दिया जो कि संधारण योग्य ही नहीं था । इसके बावजूद भी अधी0न्याया0 द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को अनदेखा कर राजस्व लोक अदालत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.7.2015 को प्रश्नगत करते हुए क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय पारित किया है जिसे विधिसंगत नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांकित 27.6.2018 अपास्त योग्य पायी

जाती है एवं वादी रामधन द्वारा प्रस्तुत वाद भी उपरोक्त विवेचनानुसार निरस्त योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ का निर्णय व डिक्री दिनांकित 27.6.2018 निरस्त की जाती है एवं वादी रामधन द्वारा प्रस्तुत वाद भी निरस्त किया जाता है । तथा वादी रामधन को निर्देश दिये जाते है कि वे राजस्व लोक अदालत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 9.7.2015 की इजराय हेतु विधिनुसार कार्यवाही करे । उक्त परिप्रेक्ष्य में रेस्पो0 भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 भी निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Mehrada
Date: 2019.12.06 18:05:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: